भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

16.07.2014 को लोक सभा में

पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या : 887

खनिज भूमि का उत्खनन

887. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार परमाणु ऊर्जा अधिनियम के अंतर्गत खनिज भूमि के उत्खनन के लिए निजी क्षेत्र को लाइसेंस देने का है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस लाइसेंस को देने के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग के समक्ष निजी क्षेत्र की तरफ से कुछ आवेदन विचाराधीन हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग ने केरल के कोल्लम और अलपुज्जा जिलों के तटों जहाँ के रेत में निर्धारित खनिज मौजूद हैं, में निजी क्षेत्र को खनन अधिकार प्रदान करने की अपनी नीति में परिवर्तन किया है; और

(ड.) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) जी, नहीं। भारत सरकार का विचार, परमाणु ऊर्जा अधिनियम के अधीन खनिज बालू के खनन के लिए निजी क्षेत्र को लाइसेंस प्रदान करने का नहीं है। तथापि, पुलिन बालू निक्षेपों में अन्य खनिजों के खनन के लिए, खान मंत्रालय (एमओएम) द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 5 के तहत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा खनिजों के बारे में रियायत प्रदान किए जाने हेतु परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) की पूर्व सहमति मांगी जाती है। परमाणु ऊर्जा विभाग, अपने एक संघटक यूनिट परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) की सिफारिशों के आधार पर खान मंत्रालय को 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' जारी करता है, और खान मंत्रालय की सिफारिश पर, संबंधित राज्य सरकारें पुलिन बालू निक्षेपों के खनन हेतु लाइसेंस जारी करती हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) ऊपर (ख) के मद्दे नज़र यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) खनन की अनुमति प्रदान करने के अधिकार राज्य सरकारों के पास होते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग, विहित खनिजों के खनन हेतु निजी क्षेत्र को अनुमति प्रदान करने के लिए नियमों के वर्तमान प्रावधानों में छूट देने के बारे में विचार नहीं कर रहा है।

(ड.) ऊपर (घ) के मद्दे नज़र यह प्रश्न ही नहीं उठता।

* * * * * * *